(4)

समाहरणालय, मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
आदेश

सरकार के प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 117 दिनांक- 07/03/2017 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016- 17 में मांग संख्याँ- 22 मुख्य शीर्ष- 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष- 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष-0003-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता के विषय शीर्ष-0401-पेंशन तथा विपत्र कोड संख्या-एन0 2235602000003 के अंतर्गत इस कार्यालय के पत्रांक-189 दिनांक-13.02.2017 के क्रम में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राज्य सरकार से सम्मान भत्ता भुगतान हेतु मो0-80,000.00 (अस्सी हजार) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिस राशि को अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज को उनके पत्रांक-490-2/सपत्र, दिनांक-15.11.2016 से प्राप्त यधियाचना तथा प्राप्त सूची के आलोक में सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत राशि की निकासी हेतु उपावंटित किया जाता है।

(1) उक्त उपावंटित राशि के निकासी उपरांत केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे सलंग्न सूची के अनुसार जीवित स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके आश्रितों को जीवित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उचित पहचान के आधार पर पूर्व की भाँति भुगतान किया जाएगा।

(2) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्याँ--2561 दि0-17/04/1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(3) उपावंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में ए0सी0 विपत्र से नहीं किया जायेगा। आवश्यकतानुसार राशि की निकासी Fully Vouchered and Prereceipted Bill पर ही किया जायेगा, ताकि भविष्य में डी0सी0 विपत्र जमा करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

(4) उपर्युक्त राशि की निकासी हेतु विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जानेवाले प्रमाण पत्र का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

(5) आवंटित राशि का व्यय के पश्वात् उपयोगिता प्रमाण पत्र/प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक- 25 मार्च, 2017 तक जिला सामान्य शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दें।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक-330 /सा0, मधेपुरा, दिनांक- 11 मार्च, 2017

प्रतिलिपि- अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज /कोषागार पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को (आवंटनादेश पत्रांक-117 दिनांक-07/03/2017 सलंग्न) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ। निदेश है कि इसे जिला के वेवसाईट एवं सम्बंधित को ईमेल करने करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सरकार के प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार,पटना के पत्रांक-117 दिनांक- 07/03/2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

(6)

जिला सूचना एवं विज्ञान
अधिकारी, मधेपुरा